फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

स संख्या :— 199/2024

रामराज बनाम सरकार

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
16.04.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता रमेश चौधरी हाजिर। अप्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जवाब प्राप्त हो चुका है। दावा पर बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 24.04.224 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर) उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)	
24.04.2024	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वादी ने यह वाद बाबत् नाम दुरस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है। वादी विवादित भूमि खसरा नंबर 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 135 कुल किता 10 कुल रकबा 5.57 है0 वाके ग्राम गणेशपुरा तहसील चाकसू के रिकोर्डेड काबिज काश्तकार होना बताया है। रिकार्ड में वादी का नाम राजू पुत्र दामोदर दर्ज होना बताया है जबकि उनके वादी का वास्तविक नाम रामराज पुत्र दामोदर दर्ज होना बताया है। प्रार्थी/वादीगणों के इस आशय का शपथ पत्र पेश किया है कि प्रतिवादी सरकार ने जवाब ने जाहिर किया है कि विवादित भूमि मे वादी को नाम विक्रय पत्र से प्राप्त हुई है। उसके उपरान्त राजस्व रिकार्ड में राजू पुत्र दामोदर के नाम दर्ज चली आ रही है। प्रतिवादी ने अपने जवाब में यह सिद्व नही किया है कि राजू पुत्र दामोदर नाम का कोई अन्य व्यक्ति बतौर खातेदार उक्त भूमि पर काबिज है। अतः वादी के शपथ पत्र के आधार पर यह स्वीकार किया जाता है कि रामराज पुत्र दामोदर व राजू पुत्र दामोदर एक ही व्यक्ति है। अतः वादी का नाम विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में रामराज पुत्र दामोदर दर्ज किया जावें। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर) उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)	